ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218 PP. NO.- 162-164
ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-13, No.-II, Issues-17, YEAR- Sept. -2020

ग्रामीण विकास एवं राष्ट्रीय ग्रामीण कार्यक्रम

दिलीप कुमार
असिस्टेन्ट प्रोफेसर– मनोविज्ञान विभाग, के.पी.एस. कॉलेज, पटना (बिहार), भारत

Received- 13.08.2020, Revised- 17.08.2020, Accepted - 19.08.2020 E-mail: - dr.ramanyadav@gmail.com

सारांश : *ग्रामीण विकास वर्तमान भारत की एक मूलभूत एवं जटिल समस्या है। राष्ट्र एवं अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर विद्वानों, प्रशासकों, नियोजकों एवं राजनीतिज्ञों के मध्य सम्प्रति यह विचार–विमर्श का प्रमुख विषय बन गया है। यह निर्विवाद रूप से स्वीकार किया जाने लगा है कि सम्पूर्ण राष्ट्र के विकास की कल्पना बिना समुचित ग्रामीण विकास के साकार नहीं हो सकती है क्योंकि भारत गांवों का देश है। यदि गांव सम्पन्न होंगे तो देश सम्पन्न होगा तथा यदि ग्राम विपन्न व उजड़े होंगे तो देश विपन्न व उजड़ा होगा। महात्मा गांधी ने कहा था कि प्रत्येक आंख से आंसू पोछना हमारा ध्येय होना चाहिए। यही कारण है कि हमारी विकास नीतियों योजनाओं और राष्ट्रीय उन्नयन के विविध कार्यक्रमों में ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों का सर्वोपरि महत्व रहा है। आज राष्ट्र का विकास व उत्थान ग्रामीण क्षेत्रों के विकास व उत्थान का पर्याय बन गया है।*

कुंजीभूत शब्द– कोरोना, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वायरस, ट्रेडोस एधानोम गेब्रेयेसुस, डिसीज, विषाणु ।

ग्रामीण विकास से अभिप्राय ग्रामीण क्षेत्रों का समग विकास करने से है। चूंकि तृतीय विश्व के राष्ट्रों की अर्थव्यवस्थाएं ग्रामीण क्षेत्र प्रधान है और यहां की विशाल जनसंख्या सदियों से औपनिवेशिक शोषण का शिकार हुई है। अतः उनको औपनिवेशिक सत्ता से मुक्ति मिलने के बाद उनका प्रथम उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में निवास कर रही जनता का आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान करना है। ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त निर्धनता, बेरोजगारी, निरक्षरता तथा रिक्त प्राकृतिक संसाधनों के लक्षण मिलते हैं। इन समस्याओं को हल कर, ग्रामीण विकास करना होता है। अतः ग्रामीण विकास से अभिप्राय ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना है। यद्यपि ग्रामीण विकास की अवधारणा में वैचारिक एवं सैद्धान्तिक मतभेद है, लेकिन व्यावहारिक रूप में ग्रामीण विकास की अवधारणा स्पष्ट है, जिसमें ग्राम्य जीवन में सुधार लाने से है।

1. ग्रामीण विकास से अर्थ है कि "आर्थिक विकास की प्रक्रिया हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक अवसंरचनात्मक विकास करना एवं जिसमें लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास तथा विपणन जैसी द्वितीयक एवं तृतीयक सेवाओं का विकास शामिल है।"

2. रॉबर्ट चैम्बर्स के अनुसार, "ग्रामीण विकास का तात्पर्य जनसंख्या के उस विशेष वर्ग के विकास करने की रणनीति है जिसमें गरीब ग्रामीण पुरूष, महिलायें, बच्चे शामिल हैं, इनकी इच्छा एवं जरूरतों को पूरा करना है ताकि इनका जीवन स्तर उपर उठ सके। इसमें ग्रामीण किसान, कारीगर, भूमिहीन कृषक भी सम्मिलित होते हैं जो अपने जीवनयापन हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हैं।"

3. उमा लैली के अनुसार, "ग्रामीण विकास से अभिप्राय ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले अनेकानेक न्यून आय वाले वर्ग के लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना और उनके विकास के क्रम को आत्मपोषित बनाना है।"

4. एस.एम. साह के अनुसार, "ग्रामीण विकास एक पद्धति है जिसके अन्तर्गत सामूहिक प्रयासों से शहरी क्षेत्रों से बाहर रहने वाले लोगों के कल्याण तथा आत्मज्ञान में सुधार लाने का प्रयास किया जाता है।

ग्रामीण विकास की विशेषताएं – ग्रामीण विकास में ग्राम निवासियों की मौलिक आवश्यकताओं से जुड़े विभिन्न पहलू आते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में निम्न आय वर्ग को ग्रामीण योजनाओं का प्रमुख लाभार्थी बनाना ग्रामीण विकास की प्रमुखता है। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए चल रही योजनाओं का लाभ यदि गांव की गरीब जनता तक पहुंचाने का कार्य सही चल रहा हो तथा ग्रामीण युवक उसका समुचित उपयोग कर रहे हों, तो यह कहा जा सकता है कि ग्रामीण विकास हो रहा है।

- ग्रामीण विकास का महत्व
- ग्रामीण निर्धनता निवारण
- बेरोजगारी उन्मूलन
- ग्रामीण कृषि विकास
- आधुनिकीकरण
- आर्थिक असमानता में कमी
- ग्रामीण क्षेत्र के संसाधनों का विदोहन
- शिक्षा एवं तकनीकी ज्ञान का विस्तार

PIF/6.500 *ASVS Reg. No. AZM 561/2013-14*

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-13, No.-II, Issues-17, YEAR- Sept. -2020

– ग्रामीण जनता की राष्ट्र निर्माण में भागीदारी
– राजनीतिक गतिशीलता
– ग्रामीण विकास का चक्रीय प्रवाह

अप्रैल 1977 में आरम्भ 'काम के बदले अन्न' योजना को अक्टूबर, 1980 के आरम्भ में 'राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार' में परिवर्तित कर दिया गया। इस कार्यक्रम पर व्यय की जाने वाली रिाश का 50–50 प्रतिशत भाग केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा वहन करने का प्रावधान रखा गया। इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में निर्मित विभिन्न पूंजीगत परियोजनाओं के रख–रखाव के रूप में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये गये हैं और कार्यक्रम के बदले में नगद मुद्रा न देकर खाद्यान्न दिये गये हैं।

उद्देश्य – इस योजना में निम्नलिखित उद्देश्य रखे गये–

1. ग्रामीण क्षेत्र में पाये जाने वाले भयंकर बेरोजगारी के निवारण के वास्ते निर्धन वर्ग को रोजगार प्रदान करना।
2. खाद्यान्न अतिरेक का उचित प्रयोग करना।
3. ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न पूंजीगत परियोजनाओं के निर्माण एवं उन्हें कार्य योग्य बनाये रखने में सहायता प्रदान करना।
4. ग्रामीण पुनरूत्थान के कार्यों में सहयोग करना।

कार्यक्रम का क्रियान्वयन एवं प्रगति

इस योजना के अन्तर्गत वे सभी कार्यक्रम सम्मिलित किये गये हैं जिससे ग्रामीण निर्धनों को रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकते थे। योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार को निशुल्क अनाज उपलब्ध कराती है। यह अनाज पूंजीगत परियोजनाओं में काम करने वाले मजदूरों को मजदूरी के बदले दिया जाता है। यह योजना जिला ग्रामीण विकास एजेन्सी के माध्यम से कार्यान्वित होती है। इस कार्यक्रम में यह व्यवस्था की गयी है कि इस योजना पर व्यय की जाने वाली राशि का कम से कम 50 प्रतिशत भाग मजदूरी पर खर्च हो। कुल आवंटन राशि का 10 प्रतिशत भाग केवल अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति के लाभार्थ के लिये रखा गया। सन् 1985–86 में इसे बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया और 1986–87 में पुनः इसे बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर दिया गया। अप्रैल 1989 से इस कार्यक्रम को जवाहर योजना में शामिल कर दिया गया है।

कार्यक्रम की प्रगति – छठी योजना में केन्द्र तथा राज्य सरकारों ने इस योजना पर कुल मिलाकर 1875 करोड़ रूपये खर्च किये जिसके फलस्वरूप 7751 लाख मानव दिवस कार्य सम्पन्न हुआ। इस अवधि में 2066 लाख टन खाद्यान्न उपयोग में लाया गया। इस अवधि में अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति को कुल रोजगार का 5 प्रतिशत रोजगार प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त इस अवधि में इस योजना के अन्तर्गत 4.69 लाख हेक्टेर भूमि पर वृक्षारोपण, 4.80 लाख कुओं का निर्माण, 54000 टंकियों का निर्माण, 61 हजार तालाब एवं 2.23 लाख विद्यालय भवनों का निर्माण किया गया। इसके अलावा इस योजना में 4.45 लाख विद्यालय भवनों का निर्माण किया गया। इसके अलावा इस योजना में 4.45 लाख कि.मी. ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया या मरम्मत की गई।

सातवीं योजना में इस कार्यक्रम पर कुल 2487 करोड़ रूपये व्यय करने का प्रावधान रखा गया है जिसमें राज्यों का 1236.66 करोड़ रू. हिस्सा होगा। इस योजना में यह लक्ष्य रखा गया है कि योजना में 14,450 लाख मानव दिवस का कार्य सम्पन्न हो सकेगा। इस योजना के प्रथम चार वर्षों में इस मद पर किये गये व्यय से 131 करोड़ मानव दिवसों का रोजगार उपलब्ध हो सका है।

कार्यक्रम का मूल्यांकन– कार्यक्रम की समीक्षा से पता चलता है कि इस कार्यक्रम में रोजगार के जो लक्ष्य निर्धारित किये गए थे, वे प्राप्त कर लिये गये हैं। इसके अलावा इस कार्यक्रम से और भी लाभ प्राप्त हुए हैं– 1. इससे ग्रामीण मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी के भुगतान को सुनिश्चित करने में सहायता मिली है। 2. यह कार्यक्रम ग्रामीण जनसंख्या का शहरों की ओर पलायन रोकने में सहायक हुआ है। 3. इस कार्यक्रम से ग्रामीण निर्धनों को राहत मिली है तथा उनके जीवन स्तर में वृद्धि हुई है। 4. इस कार्यक्रम में ग्रामीण निर्धनों को न केवल रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये हैं बल्कि न्यूनतम मजदूरी दर तथा सस्ती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराकर उनके पोषाहार स्तरों में सुधार किया है। 5. इस कार्यक्रम के क्रियान्वित होने से ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण हो गया है जिसके कारण संचार एवं व्यापार के लिये सुविधायें उपलब्ध हो गयी है।

कमियाँ– कार्यक्रम में अनेक कमियाँ रहीं जिसके कारण यह कार्यक्रम अधिक सफल नहीं रहा। इस कार्यक्रम की निम्न कमियां रहीं–

1. यद्यपि इस कार्यक्रम के द्वारा रोजगार लक्ष्य के अनुसार प्राप्त हुआ किन्तु यह पता नहीं चल पाता कि कितने व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ जो भूमिहीन है तथा गरीबों में गरीब है। इस प्रकार यह कार्यक्रम इस लक्ष्य समूह जनसंख्या पर ध्यान देने में असमर्थ रहा जिसके लिये यह कार्यक्रम बनाया गया था।
2. कुछ प्रदेशों में सरकारी गोदामों की कमी है जिसके कारण वे अनाज का पर्याप्त भण्डारण नहीं कर पाती हैं। परिवहन एवं गोदामों के अभाव में ये प्रदेश

PIF/6.500 *ASVS Reg. No. AZM 561/2013-14*

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-13, No.-II, Issues-17, YEAR- Sept. -2020

सरकारें केन्द्रीय गोदामों से पर्याप्त अनाज नहीं ले जा सकती। अनाज के अभाव में इस प्रकार के कार्यक्रमों को क्रियान्वित नहीं किया जा सकता।

3. इस कार्यक्रम के अन्तर्गत किसी जिले को जो फण्ड दिये जाते हैं वे क्त्व। अथवा विशिष्ट संस्था को नहीं दिये जाते हैं बल्कि राज्य सरकार के माध्यम से सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा सिंचाई विभाग को मुर्हया कराये जाते हैं। इस फण्ड का आवंटन जिला स्तर की एजेन्सी के माध्यम से न होने पर साधनों का उचित प्रयोग नहीं हो पाता है।

4. राज्य सरकारों से यह अपेक्षा की जाती है कि इस कार्यक्रम के लिये योजनाबद्ध ढंग से स्कीम तैयार करें किन्तु ज्यादातर सरकारें इनमें रूचि नहीं लेती है और वे इस कार्यक्रम पर तदर्थ ही साधनों को खर्च करती है। इस प्रकार वित्तीय संसाधनों का अपव्यय होता है।

5. इस प्रकार के विस्तृत कार्यक्रम को सफल बनाने के लिये प्रशिक्षित कर्मचारियों की आवश्यकता होती है, किन्तु प्रशिक्षण सुविधाओं के अभाव में ऐसा सम्भव नहीं हो पता है।

निष्कर्ष – राष्ट्रीय ग्रामीण ने रोजगार कार्यक्रम ने ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धन व्यक्तियों को रोजगार देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। किन्तु इस कार्यक्रम में अनेक कमियां रह गई है जिसके कारण वांछित उद्देश्य प्राप्त नहीं हो सके हैं। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये इस कार्यक्रम को योजनाबद्ध ढंग से तैयार करके ईमानदारी से लागू करना होगा। इसके लिए अथक प्रयास करने होंगे।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. गुप्ता एवं शर्मा : ग्रामीण समाजशास्त्र ।
2. राम बिहारी सिंह तोमर : ग्रामीण समाजशास्त्र।
3. राय एम.एल. : ग्रामीण अर्थशास्त्र, नव विकास प्रकाशन 1986 ।
4. पदमावति : ग्रामीण निर्धनता, तिवारी पब्लिकेशन, दिल्ली 1991 ।

*****

PIF/6.500 *ASVS Reg. No. AZM 561/2013-14*